International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 5.649 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 7, Issue 1, January 2020 |

महिला **उत्पीड़न** - एक समाजशास्त्रीय **विश्लेषण**

DEVAKI MEENA

Assistant Professor, Dept. of Sociology, SPC Govt. College, Ajmer, Rajasthan, India

सार

"झूठ नहीं बोलेंगी हवाएँ
झूठ नहीं बोलेगी पर्वत-शिखरों पर
बची हुई थोड़ी-सी बर्फ
झूठ नहीं बोलेंगे चिनारों के
शर्मिंदा पत्ते
उनसे ही पूछो
सुमित्रा के मुँह में चीथड़े ठूँसकर
उसे कहाँ तक घसीटती ले गई
उनकी जीप
अपने पीछे बाँधकर''

स्त्रियों के साथ होने वाले जघन्य अपराधों को इंगित करती ये पंक्तियाँ रूह को कंपा देने वाली हैं। हालाँकि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समस्या कोई नई नहीं है। भारतीय समाज में महिलाएँ एक लंबे समय से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही हैं। हमारी विचारधाराओं, संस्थागत रिवाज़ों और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीड़न में काफी योगदान दिया है। इनमें से कुछ व्यावहारिक रिवाज़ आज भी व्याप्त हैं।

आज महिलाएँ एक तरफ सफलता के नए-नए आयाम गढ़ रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई महिलाएँ जघन्य हिंसा और अपराध का शिकार हो रही हैं। उनको पीटा जाता है; उनका अपहरण किया जाता है; उनके साथ बलात्कार किया जाता है; उनको जला दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि आखिर वे कौन-सी महिलाएँ हैं जिनके साथ हिंसा होती है या उनके साथ हिंसा करने वाले लोग कौन है? हिंसा का मूल कारण क्या है और इसे खत्म कैसे किया जाए?

जाहिर सी बात है, हम में से अधिकांश लोग कभी भी इन प्रश्नों पर विचार नहीं करते हैं। इसके विपरीत हम जब भी किसी महिला के साथ हिंसा की खबर देखते या सुनते हैं तो उस हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने की बजाय अपने घर की महिलाओं, बहनों और बेटियों पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगा देते हैं, जो स्वयं एक प्रकार की हिंसा ही है। इन्हीं सब कारणों के चलते संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस (International Day for the Elimination of Violence against Women) मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा के प्रति लोगों को जागरुक करना है।

परिचय

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की प्रकृति

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है-

- आपराधिक हिंसा जैसे- बलात्कार, अपहरण, हत्या...
- घरेलू हिंसा जैसे- दहेज संबंधी हिंसा, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, विधवा और वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार....
- सामाजिक हिंसा जैसे पत्नी/पुत्रवधू को मादा भ्रूण की हत्या (female foeticide) के लिये बाध्य करना, महिलाओं से छेड़-छाड़, संपत्ति में महिलाओं को हिस्सा देने से इंकार करना, अल्पवयस्क विधवा को सती होने के लिये बाध्य करना, पुत्र-वधू को और अधिक दहेज के लिये सताना, साइबर उत्पीड़न आदि।

आइए, घरेलू दायरे और साथ ही साथ समाज में महिलाओं के साथ होने वाले कुछ अपराधों पर नज़र डालें-

घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा सभ्य समाज का एक कड़वा सच है। भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत साल 2019 में केवल 507 मामले दर्ज किये गए, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल मामलों का 0.1 फीसदी है। जबकि वास्तविकता में यह संख्या कई गुना अधिक है। इसमें महिलाओं को लैंगिक, शारीरिक और मानसिक यातनाएँ दी जाती हैं।

अधिकांश मामलों में घरेलू हिंसा पति द्वारा पत्नी या ससुराल वालों के द्वारा बहू को शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न के रूप में नज़र आती है और महिलाएँ इसे अपना भाग्य समझकर सहती रहती हैं। इस हिंसा को सहने का एक कारण यह भी है कि हमारे भारतीय समाज में शादी के पहले से ही लड़की के दिमाग में यह बात बैठा दी जाती है कि एक बार पिता के घर से डोली उठने के बाद पति के घर से ही अर्थी उठनी चाहिये यानी शादी के बाद लड़की अपने पिता के घर वापस आकर नहीं रह सकती, भले ही ससुराल वाले

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 5.649 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 7, Issue 1, January 2020 |

उसका कितना ही उत्पीड़न करें। जिसके चलते अधिकाँश महिलाएँ बिना किसी से शिकायत किये शांति से हिंसा को सहती रहती हैं।[1,2,3]
वहीं, कई महिलाएँ एवं बेटियाँ ऐसी भी हैं, जो अपने ही घर में हिंसा की शिकार हो जाती हैं। हमारे पितृसत्तात्मक समाज में घर की बेटियों व महिलाओं के सभी महत्त्वपूर्ण निर्णय घर के पुरुष मुखिया ही करते हैं। जिसके चलते कई बार वह अपने घर की लड़कियों को पढ़ाई के उचित अवसर नहीं देते, अगर पढ़ा भी दिया तो नौकरी करने के लिये घर की चारदीवारी से बाहर नहीं भेजते, उन पर जबरन शादी का दबाव बनाते हैं, जो कि एक प्रकार की मानसिक हिंसा है। साथ ही, अगर कोई लड़की अपना जीवनसाथी स्वयं चुन ले तो उसके परिवार वाले अपनी झूठी शान के लिये बेटी की हत्या करने में भी नहीं कतराते हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इनमें से अधिकांश मामलों की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती और अपराधियों का मनोबल बढ़ता जाता है।
अगर कुछ महिलाएँ आवाज़ उठाती भी हैं तो कई बार पुलिस ऐसे मामलों को पंजीकृत करने में टालमटोल करती है क्योंकि पुलिस को भी लगता है कि पति द्वारा कभी गुस्से में पत्नी की पिटाई कर देना या पिता और भाई द्वारा घर की महिलाओं को नियंत्रित करना एक सामान्य सी बात है। इसलिये अब समय आ गया है कि महिलाएँ अपनी आवाज़ आवाज़ बुलंद करें और कहें कि "केवल एक थप्पड़, लेकिन नहीं मार सकता"।

बलात्कार
बलात्कार समाज में होने वाला सबसे घिनौना अपराध है। ऐसे अपराधों में भी आमतौर पर अपरिचितों की बजाय परिचित ही शामिल होते हैं। यह अपराध अचानक नहीं होता बल्कि इसे पुरुषों द्वारा विचारित कर्म माना जाता है। अपराधी अधिकतर ऐसी संवेदनशील महिलाओं या बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं जो न तो इनके खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं और न ही उनका सामना कर सकती हैं। कई बार एक समूह के पुरुष, किसी दूसरी जाति के पुरुषों को नीचा दिखाने या अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिये उनके परिवार की महिलाओं को अपना शिकार बना लेते हैं; उनका बलात्कार करते हैं और परिवार के सदस्यों द्वारा इज्जत के डर से बलात्कार के अधिकांश मामलों की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई जाती है।

यौन उत्पीड़न
इसके अंतर्गत महिलाओं की आयु, वर्ग या वेशभूषा पर ध्यान दिये बिना सड़कों पर, बसों एवं रेलगाड़ियों में सफर के दौरान या फिर कार्यस्थल पर, उन पर मौखिक व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ करना या जानबूझकर उनसे टकराना या अश्लील भाषा का प्रयोग करना आदि शामिल हैं। ये शायद ऐसे गिने-चुने अपराध हैं जो दिनदहाड़े किये जाते हैं और ये ऐसे अपराध भी हैं जिन्हें पुलिस और आम जनता अनदेखा कर देती है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और एक आम रुख कि "लड़के आखिर लड़के हैं", यौन उत्पीड़न को निरपराध और छिछोरी गतिविधि बनाते हैं। लेकिन ऐसे विकृत सुख का आखिर अर्थ क्या है और महिलाओं पर इसका क्या असर है, इस पर कोई विचार नहीं करता।

यौन उत्पीड़न की घटनाएँ जिस परिस्थिति में घटित हैं, वे शायद अलग-अलग हो सकती हैं लेकिन महिलाओं पर इनका प्रभाव एक जैसा ही होता है। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाएँ कामगार और मनुष्य के रूप में खुद को शंका की दृष्टि से देखना शुरू कर देती हैं और उनमें घोर निराशा आ जाती है; वे स्वयं को शक्तिहीन मानने लगती हैं। इसी कारण यौन उत्पीड़न को अक्सर 'मनोवैज्ञानिक बलात्कार' भी कहा जाता है।[4,5,6]

भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित कुछ आँकड़े
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2015 में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के 3.29 लाख मामले, साल 2016 में 3.38 लाख मामले, साल 2017 में 3.60 लाख मामले और साल 2019 में 3,71,503 मामले दर्ज किये गए। वहीं, साल 2019 में ये आँकड़ा बढ़कर 4,28,278 हो गया, जिनमें से अधिकतर यानी 31.8 फीसदी पति या रिश्तेदार द्वारा की गई हिंसा के, 7.40 फीसदी बलात्कार के, 17.66 फीसदी अपहरण के, 20.8 फीसदी महिलाओं को अपमानित करने के इरादे से की गई हिंसा के मामले शामिल हैं।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रमुख कारण
- पितृसत्तात्मक मानसिकता।
- पुरुष और महिलाओं के बीच शक्ति एवं संसाधनों का असमान वितरण।
- लैंगिक जागरूकता का अभाव।
- पुरुषों की तुलना में महिलाओं का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कम सशक्तीकरण।
- समाज द्वारा लैंगिक हिंसा को मौन सहमति।
- पुरुषों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण महिलाओं का लैंगिक हिंसा के प्रति अधिक सुभेद्य (Vulnerable) होना।
- कानूनों का कुशल कार्यान्वयन न होना।
- घरेलू हिंसा को संस्कृति का हिस्सा बना देना।
- लिंग भूमिकाओं से संबंधित रूढ़ियाँ।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 5.649 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 7, Issue 1, January 2020 |

- महिलाओं की भूमिका विवाह और मातृत्व तक सीमित कर देना।

अक्सर ऐसी महिलाएँ होती हैं हिंसा की शिकार

यदि हम महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के सभी मामलों का अवलोकन करें तो हम पाएँगे कि सामान्यतया हिंसा की शिकार वे महिलाएँ होती हैं-

- जो असहाय और अवसादग्रस्त होती हैं; जिनकी आत्मछवि खराब होती है; जो आत्म अवमूल्यन से ग्रसित होती हैं या वे जो अपराधकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा के कारण भावात्मक रूप से निर्बल हो गई हैं।
- जो दबावपूर्ण पारिवारिक स्थितियों में रहती हैं।[7,8,9]
- जिनमें सामाजिक परिपक्वता की या सामाजिक अन्तर-वैयक्तिक प्रवीणताओं की कमी है, जिसके कारण उन्हें व्यवहार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- जिनके पति या ससुराल वालों का व्यक्तित्व विकृत है और जिनके पति प्राय: शराब पीते हैं।
-

हिंसा करने वाले कौन?

हिंसा करने वालों में प्राय: वे लोग शामिल होते हैं-

- जो अवसादग्रस्त होते हैं; जिनमें हीन भावना होती है और जिनका आत्मसम्मान कम होता है।
- जो मनोरोगी होते हैं।
- जिनके पास संसाधनों, प्रवीणताओं (Skills) और प्रतिभाओं (talents) का अभाव होता है और जिनका व्यक्तित्व विकृत होता है।
- जिनकी प्रकृति में मालिकानापन (Possessive), शक्कीपन और प्रबलता (dominance) होती है।
- जो पारिवारिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं।
- जो बचपन में हिंसा के शिकार हुए थे और जो मदिरापान करते हैं।

महिलाओं की सुरक्षा हेतु कुछ महत्त्वपूर्ण कानून -

- भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार को अत्यंत जघन्य अपराध माना गया है।
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961और 1986
- आईपीसी की धारा 494 के तहत पति या पत्नी के जीवित होते हुए विवाह करना दंडनीय अपराध।
- हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत दूसरे विवाह को प्रतिबंधित किया गया है।
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005
- महिला आरोपी की दंड प्रक्रिया संहिता 1973
- भ्रूण लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994
- अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
- कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा के लिये वर्कप्लेस बिल (POSH Act, 2013)
- पॉक्सो (POCSO) अधिनियम

अपराधों को रोकने संबंधी चुनौतियाँ[10,11,12]

तमाम कानूनों और तरीकों को अपनाने के बाद भी हम महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने में असफल हो रहे हैं, इसलिये यह आवश्यक है कि समस्या का समाधान करने से पहले हम उसमें आने वाली चुनौतियों को समझें-

- न्यायालय में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों का लंबे समय तक लंबित पड़े रहना।
- सजा दिये जाने की दर में कमी।
- जाँच करने वाले अधिकारियों का महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार न किया जाना अर्थात महिलाओं को उत्पीड़ित नहीं बल्कि अपराधी की नज़र से देखना।
- सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में 'रोकथाम' के स्थान पर 'सज़ा' पर अधिक ज़ोर दिया जाना।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के उपाय

निम्नलिखित तरीकों को अपनाकर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है-

- महिलाओं की सुरक्षा के लिये बनाए गए कानूनों को मज़बूत करने के साथ-साथ उन्हें सख्ती से लागू किया जाए।
- सरकार द्वारा सभी स्तरों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जाए।
- फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए।
- महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली संस्थाओं को मजबूत बनाया जाए।
- महिला थानों की संख्या के साथ-साथ महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या को बढ़ाया जाए और हेल्पलाइन नंबर, फोरेंसिक लैब की स्थापना, सार्वजनिक परिवहन में सीसीटीवी और पैनिक बटन लगाने जैसी व्यवस्थाएँ की जानी चाहिये।
- समाज की मानसिकता में बदलाव लाने की ज़रूरत ।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 5.649 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 7, Issue 1, January 2020 |

- सभी महिलाओं को शिक्षित किया जाए जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हों और आत्मनिर्भर बन सकें।

तो हमने देखा कि महिलाओं की मानवीय प्रतिष्ठा के वास्तविक सम्मान के लिये जो लड़ाई लड़नी है, उसके लिये अभी मीलों का सफर तय करना है और हम इस सफर को तभी तय कर पाएँगे जब महिलाएँ अपने साथ होने वाले अपराधों को सहना छोड़कर उनके खिलाफ आवाज़ उठाएँगी क्योंकि हमारे भारतीय समाज में महिलाओं को सिर्फ सहना सिखाया जाता है, कहना नहीं सिखाया जाता। इसलिये ज़रूरी है कि महिलाएँ सबसे पहले अपनी आवाज़ खुद उठाएँ, अपनी मशाल का दीपक खुद जलाएँ तथा अपनी गरिमा के साथ कोई समझौता न करें। इसी संदर्भ में महिला अधिकार कार्यकर्ता कमला भसीन का कहना है कि-

इरादे कर बुलंद अब रहना शुरू करती तो अच्छा था
तू सहना छोड़ कर कहना शुरू करती तो अच्छा था
सदा औरों को खुश रखना बहुत ही खूब है लेकिन
खुशी थोड़ी तू अपने को भी दे पाती तो अच्छा था
दुखों को मानकर किस्मत हारकर जीने से क्या होगा
तू आँसू पोंछकर अब मुस्कुरा लेती तो अच्छा था
ये पीला रंग, लब सूखे सदा चेहरे पे मायूसी
तू अपनी एक नयी सूरत बना लेती तो अच्छा था
तेरी आँखों में आँसू हैं तेरे सीने में हैं शोले
तू इन शोलों में अपने गम जला लेती तो अच्छा था
है सर पर बोझ जुल्मों का तेरी आँखे सदा नीची
कभी तो आँखे उठा तेवर दिखा देती तो अच्छा था
तेरे माथे पे ये आँचल बहुत ही खूब है लेकिन
तू इस आँचल का इक परचम बना लेती तो अच्छा था।

विचार-विमर्श

महिलाओं के खिलाफ हिंसा (वीएडब्ल्यू) देश में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। समस्या को बहुत कम रिपोर्ट किया गया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए कई कारकों को दोषी ठहराया गया है। रिपोर्ट किए जा रहे मामलों की बढ़ती संख्या के लिए अक्सर अक्षम कानून लागू करने वाली मशीनरी को निशाना बनाया जाता है। इस बात की बहुत कम मान्यता है कि मनोरोग संबंधी रुग्णता ऐसे अपराधों को बढ़ावा दे सकती है। हाल ही में, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है; विशेषकर सामूहिक बलात्कार जैसे अत्यंत गंभीर मामले। इन घटनाओं ने लोगों की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। यहां तक कि कठोर कानून का भी कोई असर नहीं दिख रहा है. किसी को आश्चर्य होता है कि उच्च शिक्षा, आर्थिक और तकनीकी विकास की ओर बढ़ रहे समाज में यह कैसे संभव हो सकता है। मीडिया ने इस समस्या को जनता के सामने उजागर करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समय की मांग है कि मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर चुनौती स्वीकार करें और वीएडब्ल्यू के सभी रूपों को रोकने के लिए निश्चित कार्रवाई के लिए एक व्यापक प्रस्ताव पेश करें।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा (वीएडब्ल्यू) का इतिहास मानव जाति के इतिहास से जुड़ा है। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, जैसे महाभारत और रामायण , में दुर्व्यवहार के कई रूपों का वर्णन किया गया है । VAW को ख़त्म करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किये गए हैं। वीएडब्ल्यू के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की घोषणा (1993) में कहा गया है कि "वीएडब्ल्यू पुरुषों और महिलाओं के बीच ऐतिहासिक रूप से असमान शक्ति संबंधों की अभिव्यक्ति है, जिसके कारण पुरुषों द्वारा महिलाओं पर वर्चस्व और भेदभाव की रोकथाम हुई है।" महिलाओं की पूर्ण उन्नति, और वीएडब्ल्यू उन महत्वपूर्ण सामाजिक तंत्रों में से एक है जिसके द्वारा महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधीनस्थ स्थिति में मजबूर किया जाता है।'[1]

संयुक्त राष्ट्र ने VAW को ख़त्म करने और महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिलाने के उद्देश्य से दस्तावेज़ तैयार किए। सभी देशों में, सभी संस्कृतियों में, प्रयास किये जाने चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा को जाना जाए और उसका सम्मान किया जाए।[13,14,15]

जाओ:

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के स्वरूप

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए), 2005 घरेलू संबंधों में चार प्रकार के वीएडब्ल्यू को मान्यता देता है: शारीरिक, यौन शोषण, भावनात्मक या मौखिक दुर्व्यवहार और आर्थिक हिंसा। यह वर्गीकरण अन्य सेटिंग्स में VAW के लिए भी लागू है।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 5.649 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 7, Issue 1, January 2020 |

जाओ:
महामारी विज्ञान

दुनिया भर में कुल मिलाकर 35% महिलाओं ने या तो शारीरिक और/या यौन अंतरंग साथी हिंसा या गैर-साथी यौन हिंसा का अनुभव किया है। इस हिंसा में अधिकतर मामलों में अंतरंग साथी हिंसा की सूचना मिलती है। वैश्विक स्तर पर किसी रिश्ते में रहने वाली सभी महिलाओं में से लगभग एक-तिहाई (30%) ने अपने अंतरंग साथी द्वारा शारीरिक और/या यौन हिंसा का अनुभव किया है।[2] डब्ल्यूएचओ के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की सभी हत्याओं में से 38% अंतरंग भागीदारों द्वारा की जाती हैं। .[2]
भारत
VAW को लेकर भारत में स्थिति चिंताजनक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो [3] द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार, वर्ष 2011 के दौरान भारत में व्यापकता के आंकड़े इस प्रकार हैं: पति और उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता - 43.4%; छेड़छाड़ - 18.8%; बलात्कार - 10.6%; अपहरण और अपहरण - 15.6%; यौन उत्पीड़न - 3.7%; दहेज हत्या - 3.8%; अनैतिक व्यापार अधिनियम - 1.1%; दहेज निषेध अधिनियम - 2.9%; और अन्य - 0.2%.
2011 में थॉमस रॉयटर्स फाउंडेशन के विशेषज्ञ सर्वेक्षण में बताया गया था कि अफगानिस्तान, कांगो और पाकिस्तान के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे खतरनाक देश है । "कन्या भ्रूण हत्या", बाल विवाह और उच्च स्तर की तस्करी और घरेलू दासता भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र महिलाओं के लिए चौथा सबसे खतरनाक स्थान बनाती है।
पूर्व भारतीय गृह सचिव मधुकर गुप्ता के अनुसार, सौ मिलियन लोग, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां हैं, किसी न किसी तरह से तस्करी में शामिल हैं। [4]
पिछली शताब्दी में कन्या भ्रूण हत्या और भ्रूणहत्या के कारण 50 मिलियन तक लड़कियाँ "लापता" हैं। 44.5% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है।[4]
"भारत में बच्चे, 2012 - एक सांख्यिकीय मूल्यांकन" अध्ययन में बताया गया है कि 2001-2011 के दौरान, कुल जनसंख्या में बच्चों की हिस्सेदारी में गिरावट आई; 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में लड़कों की तुलना में लड़कियों में गिरावट अधिक तेज थी।'[5]
VAW की अभिव्यक्तियाँ पूरे जीवनकाल में जन्म से लेकर, शिशु अवस्था, बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता से लेकर बुढ़ापे तक होती हैं। [6] हिंसा बच्चों, विकलांग वयस्कों और गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रस्त वयस्कों पर होती है और यह घर, कार्यस्थल जैसी विभिन्न स्थितियों में होती है। वंचितों और समुदाय के लिए अस्पताल, जेल, सरकारी और गैर-सरकारी घर। यह सभी सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक समूहों में होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक वैश्विक अभियान के रूप में हिंसा को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य योजनाओं को लागू करने की वकालत करता है।[7] प्रमुख चिंता का विषय घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, दहेज से संबंधित हिंसा, ऑनर किलिंग, एसिड हमले के बढ़ते मामले हैं। और सामूहिक बलात्कार.

जाओ:
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और भारतीय विधान

महिलाओं के खिलाफ अपराधों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और विशेष और स्थानीय कानूनों में वर्गीकृत किया गया है।[16,17,18]
आईपीसी के तहत कुछ अपराधों का उल्लेख नीचे दिया गया है:

- बलात्कार (आईपीसी की धारा 376): पिछले कुछ वर्षों में रिपोर्ट किए जाने वाले मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2011 में 9.2% की वृद्धि दर्ज की गई। बलात्कार के मामलों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: अनाचार बलात्कार और अन्य बलात्कार। दिल्ली को अक्सर भारत की बलात्कार राजधानी के रूप में संबोधित किया जाता है
- अपहरण और अपहरण (धारा 363-373 आईपीसी): दिल्ली में सबसे अधिक दर दिखाई गई है
- दहेज मृत्यु (धारा 302, 304 बी आईपीसी) और दहेज निषेध अधिनियम, 1961: बिहार में उच्चतम दर दर्ज की गई है
- अत्याचार (पति और पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) (धारा 498-ए आईपीसी): पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक अपराध दर दर्ज की गई
- छेड़छाड़ (आईपीसी की धारा 354): मध्य प्रदेश में सबसे अधिक घटना दर्ज की गई है, और केरल में सबसे अधिक अपराध दर दर्ज की गई है
- यौन उत्पीड़न (धारा 509 आईपीसी): महिलाओं का यौन उत्पीड़न सुरक्षित वातावरण में काम करने के महिलाओं के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
- लड़कियों का आयात (धारा 366-बी आईपीसी)।

लिंग विशिष्ट कानून जिनके लिए अपराध के आँकड़े दर्ज किए जाते हैं वे इस प्रकार हैं:

- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956। दमन और दीव में उच्चतम दर दर्ज की गई
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961
- महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम
- सती निवारण अधिनियम, 1987
- घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005)।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 5.649 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 7, Issue 1, January 2020 |

2007-2008 के दौरान बलात्कार के मामलों में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। 2008-2011 की अवधि के दौरान बलात्कार की घटनाओं में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई है।[3]

जाओ:
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के परिणाम

व्याट एट अल. बताया गया है कि एक बार हिंसा से पीड़ित होने के बाद, दोबारा पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है और अधिक दर्दनाक होता है। हिंसा के बाद अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति, कम जन्म दर, गर्भपात और संक्रमण का खतरा बताया गया है।[8]

जाओ:
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कारण कारक

VAW में योगदान देने वाले कारक आंतरिक हो सकते हैं, व्यक्ति के भीतर, पीड़ित में या अपराधी में; या बाहरी, पर्यावरण में। उत्तरार्द्ध निकटतम वातावरण (उदाहरण के लिए, परिवार) या समुदाय में हो सकता है। हिंसा के महत्वपूर्ण कारण नीचे सूचीबद्ध हैं।

सामाजिक जनसांख्यिकीय
कम उम्र और कम उम्र, अशिक्षित या साक्षरता का निम्न स्तर, गरीबी, शहरी अधिवास, और अपनी स्वयं की कोई आय नहीं होने वाली महिलाएं, अविवाहित, अलग या तलाकशुदा स्थिति या लिव-इन रिलेशनशिप में रहने को घरेलू हिंसा के जोखिम कारकों के रूप में उद्धृत किया गया है। महिलाओं के लिए आर्थिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षिक अवसरों और ऐसी सेवाओं में उनकी भागीदारी के मामले में असमानता सूचकांक में भारत 136 देशों की सूची में 101वें स्थान पर है (टाइम्स ऑफ इंडिया, 26 अक्टूबर, 2013)।[9]

छोटे व्यवसाय और खेती में लगी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की संभावना उन महिलाओं की तुलना में अधिक थी जो गृहिणी थीं या जिनकी व्यावसायिक स्थिति उनके पतियों के बराबर थी। जहां महिलाओं की आर्थिक स्थिति उनके पतियों की तुलना में ऊंची होती है और उनके पास पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को बदलने की पर्याप्त शक्ति होती है, वहां हिंसा अपने उच्चतम स्तर पर होती है। पूर्वनिर्धारित व्यक्तियों में, विवाह मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान कर सकता है। मानसिक रूप से बीमार महिलाओं को उनकी मानसिक बीमारी के प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाए बिना वैवाहिक इकाई में विभिन्न प्रकार की हिंसा का शिकार होना पड़ता है, जिससे वैवाहिक कलह और सीमित पारिवारिक कामकाज में योगदान होता है। [10]

पारिवारिक कारक
बचपन के दौरान कठोर शारीरिक अनुशासन का सामना करना और बचपन के दौरान पिता को माँ की पिटाई करते हुए देखना, वयस्कता में उसकी पत्नी के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न का पूर्वसूचक है। जिन महिलाओं ने बचपन में कठोर शारीरिक दंड का अनुभव किया था और अपने पिता को अपनी मां को पीटते हुए देखा था, उन पर पति-पत्नी द्वारा शारीरिक हिंसा (मारना, मारना और लात मारना) का खतरा बढ़ गया था।[11]

मानसिक रुग्णता
इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि शराब वीएडब्ल्यू के कई रूपों को बढ़ावा देने वाला कारक रहा है। हाल ही के एक मेटा-विश्लेषण ने महिलाओं में शराब और अंतरंग साथी की हिंसा के बीच संबंध के लिए एक मजबूत सबूत प्रदान किया है। [12] मनोरोग रोगियों में आक्रामकता की व्यापकता अधिक है, विशेष रूप से सिज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों में। [13] सबसे अधिक पैथोलॉजिकल क्लस्टर प्रकार का व्यक्तित्व अधिक क्रोध अनुभव में योगदान देता है। [14] अन्य रुग्णताएं जैसे पैरानॉयड सिज़ोफ्रेनिया, भ्रम संबंधी विकार, द्विध्रुवी विकार और असामाजिक व्यक्तित्व को यौन VAW के अपराध से जोड़ा गया है।
बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्ति विशेष रूप से कमजोर समूह बनाते हैं क्योंकि उनमें सामान्य आबादी की तुलना में यौन उत्पीड़न का अधिक प्रचलन बताया गया है। [15] इसी तरह, अवसाद, गंभीर मानसिक बीमारी और मानसिक मंदता से पीड़ित महिलाएं विभिन्न प्रकार के उच्च जोखिम में होंगी। दुर्व्यवहार का.

गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित महिलाएं विभिन्न प्रकार की हिंसा के जोखिम में एक बेहद कमजोर आबादी हैं। मानसिक बीमारी से ग्रस्त महिलाओं को अक्सर उनके परिवार द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, आमतौर पर जब मानसिक बीमारी शादी के तुरंत बाद प्रकट होती है, या शादी से पहले मानसिक बीमारी का तथ्य सामने आता है, मुख्य रूप से मानसिक बीमारी के व्यापक कलंक के कारण। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, [16] और विशेष विवाह अधिनियम, 1954, [17] जैसे भारतीय कानूनों के अनुसार गंभीर, बार-बार होने वाली और अक्षम करने वाली मानसिक बीमारी विवाह की अमान्यता का आधार है। इस प्रकार, कई पति मानसिक बीमारी से पीड़ित अपनी पत्नियों को अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज में वे हमेशा

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 5.649 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 7, Issue 1, January 2020 |

पुनर्विवाह करने में सक्षम होंगे। हालाँकि, चूँकि इनमें से कई महिलाओं की शादी भारी दहेज के साथ की जाती है और चूँकि विवाह को एक स्थायी बंधन माना जाता है, इसलिए महिलाएँ और उनके परिवार विवाह की निरर्थकता को रोकने के लिए सभी प्रकार के उपाय अपना सकते हैं। इस प्रकार, जब सामाजिक उपाय विफल हो जाते हैं, तो कानूनी उपाय अपनाए जा सकते हैं। शिकायतें उनके दहेज निषेध अधिनियम, PWDVA या 498A IPC (पति और पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की) के तहत की जा सकती हैं। [18 , 19 , 20] हालांकि ऐसे मामलों में आरोप दहेज के लिए हिंसा और/उत्पीड़न के हैं, मुख्य चिंता दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की है, दहेज की नहीं। अधिकांश मामलों में दहेज कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि दहेज देने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों सहमत थे। महिलाओं को वैवाहिक घरों से बाहर निकालने के लिए विभिन्न प्रकार की हिंसा की जा सकती है। यह आमतौर पर कोई जीत वाली स्थिति नहीं होती है। पूरे समय महिलाओं की मानसिक बीमारी के इलाज की उपेक्षा की जाती है जिससे स्थिति बिगड़ती है और सुलह के द्वार बंद हो जाते हैं। कई विवाह अलगाव या तलाक में समाप्त होते हैं; बच्चे सबसे अधिक पीड़ित हैं।[21]

सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराएँ (गहरी जड़ें)
पितृसत्ता, दहेज, पारिवारिक सम्मान, पारिवारिक हिंसा आदि जैसी परंपराएँ सदियों से जारी हैं और महिलाओं को वंचित स्थिति में डाल दिया है।
मीडिया और अश्लीलता
मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया में बार-बार हिंसा का प्रदर्शन, विशेषकर बच्चों में आक्रामकता की घटनाओं में वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। तेजी से पैसा कमाने के लिए टेलीविजन और सिनेमाघर यौन सामग्री का चित्रण कर रहे हैं। इंटरनेट और अन्य तरीकों से कई लोगों के लिए अश्लील सामग्री आसानी से उपलब्ध है।
लत
नशे की लत वाले पदार्थों (विशेषकर शराब, भांग और गांजा) की आसान उपलब्धता भी जिम्मेदार है।
विधान
हिंदू विवाह अधिनियम (1955)
कुछ विधानों में कमियाँ उल्लेखनीय हैं। विवाह पर दो प्रमुख कानूनों हिंदू विवाह अधिनियम (1955) और विशेष विवाह अधिनियम (1954) के अनुसार, विवाह के समय या अतीत में मानसिक बीमारी की उपस्थिति, यदि छुपाई गई, तो विवाह की अमान्यता का आधार बन सकती है। विवाह अमान्य है यदि व्यक्ति "बुद्धि की अस्वस्थता के परिणामस्वरूप इसके लिए वैध सहमति देने में असमर्थ है" या "इस तरह के मानसिक विकार से पीड़ित है, या इस हद तक कि वह विवाह के लिए अयोग्य है और बच्चे पैदा करना" या "पागलपन के बार-बार होने वाले हमलों का विषय रहा है।" इन शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और लोगों और कानूनी पेशेवरों दोनों द्वारा अलग-अलग व्याख्या की गई है। पिछले 50 वर्षों के दौरान गंभीर मानसिक बीमारी के पूर्वानुमान में काफी सुधार हुआ है। बहुत कम व्यक्ति विवाह अधिनियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करेंगे। हालाँकि, "मानसिक विकार" और "पागलपन" शब्द के उल्लेख के कारण कई पति और उनके परिवार और वकील यह रुख अपनाते हैं कि वे अपनी पत्नियों को अस्वीकार कर रहे हैं।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005)
यह अधिनियम मानसिक बीमारी को घरेलू हिंसा का कारण नहीं मानता है। घरेलू हिंसा के अपराधी को किसी भी बचाव की दलील देने की अनुमति नहीं है। उन्हें हिंसा रोकने के लिए समझाइश देनी है. अनिवार्य मनोरोग मूल्यांकन और उपचार के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता में कोई प्रावधान नहीं है।

दहेज निषेध अधिनियम (1961)
हालाँकि इस अधिनियम के तहत कई शिकायतें [20] वास्तविक हैं, लेकिन इस बात के सबूत हैं कि जब शादी टूटने की कगार पर होती है, तो उसे बचाने के एकमात्र उद्देश्य से पति और रिश्तेदारों के खिलाफ तुच्छ शिकायतें भी की जाती हैं। ऐसा अक्सर तब किया जाता है जब महिलाओं में अंतर्निहित मानसिक बीमारी होती है। एक सामान्य मामले में पति मानसिक बीमारी के कारण महिला को अस्वीकार कर देता है, जबकि महिला का परिवार मानसिक बीमारी से इनकार करता है और आरोप लगाता है कि असामान्य व्यवहार अधिक दहेज लाने के लिए उसके साथ की गई क्रूरता के कारण है। अधिकांश मामलों में मानसिक विकार के उपचार की उपेक्षा की जाती है जिससे अधिक हिंसा होती है। अनिवार्य मनोरोग मूल्यांकन और उपचार के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता में कोई प्रावधान नहीं है।

मनोसामाजिक तनाव
गरीबी, शिक्षा, करियर, बेरोजगारी, काम, विवाह और भ्रष्टाचार आदि से संबंधित मनोसामाजिक तनाव, दुर्भावनापूर्ण मुकाबला प्रतिक्रियाओं और/या कमजोर व्यक्तियों में मानसिक बीमारी को ट्रिगर करके हिंसा में योगदान कर सकता है।
मनोरंजन और खेल
मनोरंजन/खेल-कूद और रचनात्मक क्षमताओं के विकास के लिए उपयुक्त सुविधाओं की कमी और सोशल नेटवर्किंग की भी कुछ भूमिका है।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 5.649 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 7, Issue 1, January 2020 |

कानून प्रवर्तन मशीनरी
एक असंवेदनशील, अकुशल, गैर-जिम्मेदार और भ्रष्ट कानून प्रवर्तन मशीनरी (प्रशासक, पुलिस और न्यायपालिका सहित) शिकायतों के निवारण और अपराधों को रोकने के लिए एक तंत्र के रूप में अपनी भूमिका खो देती है। अक्सर, यह ठीक ही कहा गया है कि "न्याय में देरी, न्याय न मिलने के समान है।"
धार्मिक और नैतिक मूल्य
धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का ह्रास भी महत्वपूर्ण है।
एकाधिक जोखिम कारक
कुछ व्यक्तियों में कई जोखिम कारक मौजूद हो सकते हैं, जिससे उन्हें हिंसा करने या उसका शिकार बनने का खतरा हो सकता है। उदाहरण के लिए, घर से दूर रहने वाले, अस्वस्थ सहकर्मी समूह के साथ रहने वाले, कई तनावों का सामना करने वाले और अश्लील साहित्य और शराब तक पहुंच रखने वाले पुरुष विशेष रूप से असुरक्षित हो सकते हैं।

जाओ:
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम
कहावत है "हिंसा रोकी जा सकती है।"
लिंग संवेदीकरण
लिंग संवेदनशीलता को पुरुष-महिला संबंधों की संवेदनशीलता और सीमाओं, विभिन्न सेटिंग्स में विपरीत लिंग के संबंध में आचार संहिता और असामान्य स्थानों और समय पर हिंसा को रोकने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जागरूकता और शिक्षा घर पर माता-पिता, स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों, [21] कार्यस्थल पर नियोक्ताओं और समुदाय में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा की जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक समारोहों में कार्यशालाएँ, व्याख्यान और नुक्कड़ नाटक, वीडियो आयोजित किए जा सकते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से युवाओं में संबंध प्रबंधन, हिंसा की रोकथाम और संचार कौशल विकसित किया जाना चाहिए। मैत्री (एनजीओ) द्वारा 5 अप्रैल 2012 को दिल्ली में VAW पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। लैंगिक संवेदनशील मुद्दों से निपटने के लिए मेडिकल और पैरा-मेडिकल कर्मियों और मेडिकल छात्रों को इस विषय पर संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। यौन शिक्षा को स्कूलों, कॉलेजों और समुदाय के स्तर पर पढ़ाए जाने की जरूरत है। पुलिस कर्मियों, न्यायपालिका, प्रशासकों और कानूनी पेशेवर जैसे विभिन्न हितधारकों के प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है।

मानसिक रोग का इलाज
गंभीर मानसिक बीमारी वाले लोगों की शीघ्र पहचान, उपचार और पुनर्वास के लिए अच्छी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की आवश्यकता है। सक्रिय लक्षणों वाले मानसिक रोग वाले व्यक्तियों को पर्याप्त सुधार होने तक संरक्षित वातावरण में रखा जाना चाहिए। मानसिक मंदता और सिज़ोफ्रेनिया जैसी पुरानी बीमारी वाले कुछ रोगियों को उनके अभिभावकों की देखरेख में जीवन भर संरक्षित वातावरण में रखना पड़ सकता है। इस संबंध में लोगों के बीच व्यापक जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। शराब पर निर्भरता वाले व्यक्तियों का अनैच्छिक उपचार किया जाना चाहिए।

नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध
विशेष रूप से युवा लोगों में शराब, भांग और गांजे के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। शराब की दुकानों की संख्या में कमी की जानी चाहिए और सामूहिक समारोहों, संस्थानों और ट्रेनों और बसों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर शराब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। शराब खरीदने की उम्र 30 साल तक बढ़ाई जा सकती है. उत्सव के अवसरों पर श्वास विश्लेषक की सहायता से विशेष जांच की सिफारिश की जाती है।

मिडिया
मीडिया अभियान वीएडब्ल्यू को सहन करने वाले सामाजिक दृष्टिकोण को उलटने में मदद कर सकते हैं। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए मीडिया के साथ सहयोग को नए संदेश और नई प्रतिक्रियाएँ बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
कामोद्दीपक चित्र
कंप्यूटर और इंटरनेट की भूमिका उल्लेखनीय है। अश्लील साइटों को ब्लॉक किया जाना चाहिए. ऐसी अश्लील जानकारी वाली सीडी-रोम/वेबसाइटों को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

कानून प्रवर्तन मशीनरी
महिलाओं के लिए मैत्री (नई दिल्ली स्थित एक गैर सरकारी संगठन) और मुंबई में वंद्रेवाला जैसी 24×7 हेल्पलाइन की आवश्यकता है। हिंसा के पीड़ित सीधे अस्पतालों में जा सकते हैं, सामुदायिक केंद्रों से रेफरल मांग सकते हैं और 24×7 हेल्पलाइन नंबरों तक पहुंच सकते हैं। मैत्री एनजीओ ने घरेलू हिंसा के लिए हेल्पलाइन नंबर +918010512345 प्रदान किया है। मैत्री (एनजीओ) अपनी

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 5.649 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 7, Issue 1, January 2020 |

परियोजना "संवेदना" के माध्यम से घरेलू हिंसा के पीड़ितों और उनके परिवारों को मुफ्त परामर्श और मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करता है। संगठन उन लोगों के लिए कानूनी सेवाओं की सुविधा भी प्रदान करता है जो कानूनी समाधान चुनते हैं।
फास्ट ट्रैक अदालतों की पुरजोर अनुशंसा की जाती है।

परिणाम
महिला पुलिस अधिकारियों की मदद से पुलिस स्टेशनों में विशेष कक्षों को जनशक्ति, नवीनतम उपकरणों जैसे सीसीटीवी फुटेज और फोन हेल्प लाइन आदि के साथ सशक्त बनाया जाना चाहिए।
विधान
न्यायपालिका की मानसिकता
लिंग तटस्थ होने की दिशा में न्यायपालिका की पितृसत्तात्मक मानसिकता को बदलना होगा। भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने ठीक ही कहा था, "अब समय आ गया है कि भारत की अदालतें अपने भीतर झाँकें और गहराई से अंतर्निहित पितृसत्तात्मक धारणाओं को बाहर निकालें जो महिलाओं के लिए निर्णयों को निष्पक्ष होने से रोकती हैं। इससे पहले कि देश में और अधिक नुकसान हो, व्यवस्था के भीतर लिंगभेद को ख़त्म करना होगा।" उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने एक फैसले में कहा था, " अकेले काम कर रहे किसी पुरुष के लिए अच्छी सेहत वाली महिला के साथ बलात्कार करना संभव नहीं है। "[19,20,21]

संशोधन विधान
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955: मानसिक बीमारी को हिंदू विवाह की शर्तों से हटा दिया जाना चाहिए। मानसिक बीमारी की पिछली बीमारी के बारे में सूचित न करना विवाह को रद्द करने का आधार नहीं होना चाहिए।
PWDVA, 2005 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961: मानसिक बीमारी के आकलन को कोड सिविल प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए ताकि पीड़ित और अपराधी की मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संबोधित किया जा सके और हिंसा को रोका जा सके।
मानसिक बीमारी की स्थिति में कानूनों का उचित अनुप्रयोग
वैवाहिक विवादों के कई निर्णयों से यह स्पष्ट है कि मानसिक बीमारी अक्सर पक्षकारों, याचिकाकर्ता या प्रतिवादी में से किसी एक में मौजूद होती है। हालाँकि, न्यायपालिका द्वारा अक्सर इसकी अनदेखी की जाती है। नतीजा यह होता है कि मामला वर्षों तक खिंचता रहता है और मानसिक बीमारी उपेक्षित रह जाती है। यह सुझाव दिया जाता है कि न्यायपालिका के पास सामान्य मानसिक विकारों की पहचान के लिए कुछ प्रारंभिक प्रशिक्षण हो ताकि जरूरत पड़ने पर सभी संदिग्ध मामलों को विशेषज्ञ की राय और उपचार के लिए भेजा जा सके। कुछ राज्यों में यह पहल पहले ही की जा चुकी है. इसके अलावा, वैवाहिक विवादों से निपटने वाले पारिवारिक और सिविल न्यायालयों के लिए विशेषज्ञों (1 या अधिक मनोचिकित्सकों) का एक पैनल होना चाहिए जिनसे परामर्श लिया जा सके।

आचार संहिता
पारंपरिक परिवारों में एक अलिखित आचार संहिता होती है जो परिवार में निषिद्ध रिश्तों (पिता और बेटी और माँ और बेटे आदि) के बीच घनिष्ठता को रोकती है। इसी तरह, अस्पतालों में बिना महिला अटेंडेंट के किसी महिला की जांच न करने की आचार संहिता है। दोनों लिंगों के बीच कितनी निकटता की अनुमति है, इस पर सभी संस्थानों में कुछ दिशानिर्देश (आचार संहिता) होने चाहिए। निर्धारित आचार संहिता का पालन करने से यौन दुराचार रोका जा सकेगा। साथ ही, यदि इसका उल्लंघन किया जाता है, तो इसका आसानी से पता लगाया जा सकता है और उचित उपाय किए जा सकते हैं।

महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार
महिलाओं की शिक्षा, नौकरी के अवसरों, विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व में सुधार और उनके अधिकारों और कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण सही दिशा में एक कदम होगा।

जीवन शैली
दैनिक जीवन के तनावों के प्रबंधन सहित स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने की सिफारिश की जाती है।
धार्मिक नेता और विद्वान
धार्मिक नेताओं और विद्वानों को महिलाओं के लिए समानता और सम्मान को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से धार्मिक ग्रंथों और सिद्धांतों की व्याख्याओं की फिर से जांच करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष
सामाजिक संगठन
यदि घटनाएं उनके संज्ञान में आती हैं तो तुरंत कार्रवाई करने के लिए गैर सरकारी संगठनों/सामाजिक कार्यकर्ताओं/समुदायों/निवासी कल्याण संगठनों (शहरी)/ग्राम पंचायतों को सक्रिय रूप से शामिल करने और संवेदनशील बनाने

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 5.649 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 7, Issue 1, January 2020 |

की आवश्यकता है। वहां सेवाओं का उपयोग अपराध करने वालों पर सामाजिक दबाव डालकर हिंसा को कम करने में किया जा सकता है। ऐसे संगठन VAW का विरोध करने के लिए स्थानीय समुदाय में नेतृत्व भी प्रदान कर सकते हैं।[21]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. ए/आरईएस/48/104. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर घोषणा। संयुक्त राष्ट्र। [अंतिम बार 2014 अगस्त 17 को देखा गया]। यहां उपलब्ध है: http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm ।
2. जिनेवा: विश्व स्वास्थ्य संगठन; 2013. विश्व स्वास्थ्य संगठन। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के वैश्विक और क्षेत्रीय अनुमान: अंतरंग साथी हिंसा और गैर-साथी यौन हिंसा की व्यापकता और स्वास्थ्य प्रभाव। [गूगल विद्वान]
3. नई दिल्ली: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय; 2011. भारत में अपराध. सांख्यिकी; पी। 79. [गूगल स्कॉलर]
4. संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां। आईआरआईएन न्यूज, अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ, वर्ल्ड बैंक, जेंडर इंडेक्स, ह्यूमन राइट्स वॉच, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन। [अंतिम बार 2014 अगस्त 17 को देखा गया]। यहां उपलब्ध है: http://www.trust.org/alertnet ।
5. [अंतिम अद्यतन 2012 अक्टूबर 09 को]। यहां उपलब्ध है: http://www.thehindu.com/news/national/india-loses-3-million-girls-in-infantIDE/article3981575.ece ।
6. फ्लोरेंस, इटली: इनोसेंटी रिसर्च सेंटर, यूनिसेफ; 2000. यूनिसेफ। महिलाओं एवं लड़कियों के विरुद्ध घरेलू हिंसा। मासूम डाइजेस्ट. क्रमांक 6-जून 2000। [गूगल स्कॉलर]
7. जिनेवा: विश्व स्वास्थ्य संगठन; 2012. विश्व स्वास्थ्य संगठन। हिंसा निवारण गठबंधन. हिंसा रोकथाम के लिए वैश्विक अभियान: 2012-2019 के लिए कार्य योजना। [गूगल विद्वान]
8. व्याट जीई, गुथरी डी, नॉटग्रास सीएम। महिलाओं के बाल यौन शोषण और उसके बाद यौन उत्पीड़न के विभेदक प्रभाव। जे परामर्श क्लिन साइकोल। 1992; 60 :167-73. [पबमेड] [गूगल स्कॉलर]
9. राजाधिक्षा एम. भारत का लिंग अंतर रिकॉर्ड दुनिया में सबसे खराब में से एक। टाइम्स ऑफ इंडिया; 26 अक्टूबर 2013 [गूगल स्कॉलर]
10. शर्मा ।, पंडित बी, पाठक ए, शर्मा आर. हिंदू धर्म, विवाह और मानसिक बीमारी। भारतीय जे मनोरोग. 2013; 55 (सप्ल 2):एस243-9। [पीएमसी मुक्त लेख] [पबमेड] [गूगल स्कॉलर]
11. जयसीलन एल, कुमार एस, नीलकांतन एन, पीडिकायिल ए, पिल्लई आर, डुवुरी एन। भारत में महिलाओं के खिलाफ शारीरिक हिंसा: कुछ जोखिम कारक। जे बायोसोक विज्ञान। 2007; 39 :657-70. [पबमेड] [गूगल स्कॉलर]
12. डेविस केएम, चाइल्ड जेसी, बैचस एलजे, मैक जे, फाल्डर जी, ग्राहम के, एट अल। महिलाओं में अंतरंग साथी हिंसा का शिकार और शराब का सेवन: एक व्यवस्थित समीक्षा और मेटा-विश्लेषण। लत। 2014; 109 :379-91. [पबमेड] [गूगल स्कॉलर]
13. लेजॉयक्स एम, निवोली एफ, बास्किन ए, पेटिट ए, चाल्विन एफ, एम्बौज़ा एच। सिज़ोफ्रेनिक रोगियों के बीच आक्रामक व्यवहार के जोखिम को बढ़ाने वाले कारकों की जांच। सामने मनोरोग. 2013; 4 :97. [पीएमसी मुक्त लेख] [पबमेड] [गूगल स्कॉलर]
14. ग्रीन एएफ, कोल्स सीजे, जॉनसन ईएच। पारस्परिक हिंसा अपराधियों में मनोविकृति विज्ञान और क्रोध। जे क्लिन साइकोल. 1994; 50 :906–12. [पबमेड] [गूगल स्कॉलर]
15. लिन एलपी, येन सीएफ, कुओ एफवाई, वू जेएल, लिन जेडी। विकलांग लोगों का यौन उत्पीड़न: ताइवान में 2002-2007 की राष्ट्रीय रिपोर्ट के परिणाम। रेस देव अक्षमता। 2009; 30 :969-75. [पबमेड] [गूगल स्कॉलर]
16. नई दिल्ली, भारत: व्यावसायिक पुस्तक प्रकाशक; 2002. हिंदू विवाह अधिनियम। 1955. [गूगल स्कॉलर]
17. नई दिल्ली, भारत: व्यावसायिक पुस्तक प्रकाशक; 2002. विशेष विवाह अधिनियम। 1954. [गूगल स्कॉलर]
18. दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड; 2005. अपराधों के वर्गीकरण और राज्य संशोधनों के साथ चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2003 (24-2003) द्वारा संशोधित भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)। [गूगल विद्वान]
19. दिल्ली, भारत: एकता लॉ एजेंसी; 2007. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। 2005. [गूगल स्कॉलर]
20. दहेज निषेध अधिनियम; 1961. [अंतिम बार 2014 अगस्त 18 को देखा गया]। यहां उपलब्ध है: http://www.wcd.nic.in/dowryprohibitionact.htm ।
21. श्रीवास्तव एस, भाटिया एमएस, दास एस, राजौरा ओपी, सिंह ए, चिकारा ए। मेडिकल कॉलेजों की शैक्षणिक जिम्मेदारी के रूप में लिंग संवेदीकरण। दिल्ली मनोरोग जे. 2013; 16 :204–9. [गूगल विद्वान]